भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †276

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

जनजातियों का आर्थिक विकास

†276. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पहलों ने भारत में जनजातीय समुदायों के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है;
(ख) यदि हां, तो जनजातीय समुदायों के बीच आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के ठोस परिणाम क्या हैं;
(ग) क्या जनजातीय समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट पहलें की गई हैं;
(घ) यदि हां, तो सरकारी सहायता से लाभान्वित जनजातीय उद्यमियों की सफलता की कोई विशिष्ट कहानियां और केस स्टडी क्या हैं;
(ङ) क्या सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से जनजातीय युवाओं के कौशल अंतर को पाटने और उनकी नियोजनीयता संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है; और
(च) यदि हां, तो ऐसी पहलों, उनके परिणामों और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके बदले में आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना लागू कर रहा है, जिसमें जनजातीय उद्यमिता पहल को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना है। योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। 31.10.2023 तक, 3958 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिन्होंने 2019-20 से

41.02 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है। वीडीवीके का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है। ट्राइफेड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए जनजातीय कारीगरों / आपूर्तिकर्ताओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए 31.10.2023 तक 4666 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। ट्राइफेड ने पिछले पांच वर्षों में 123.02 करोड़ रुपये की खरीद की है और 172.55 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है, जिसका विवरण **अनुलग्नक 2** में दिया गया है।

इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने के लिए त्योहारों, मेलों आदि का भी आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस योजना के तहत जनजातीय उद्यमिता की कुछ सफलता की कहानियाँ निम्नलिखित लिंक https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2023-12/Sucess%20Stories_0.pdf. पर उपलब्ध हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है ताकि उद्यमिता की भावना पैदा हो सके। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

क. सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी ₹50.00 लाख प्रति इकाई तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।

ख. आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर 90% तक ऋण प्रदान करता है।

ग. स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ): यह अजजा सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹50,000/- और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।

घ. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई): यह भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अजजा छात्रों को खर्च वहन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रति पात्र परिवार को ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले पांच वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋणों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 3** में दिया गया है। एनएसटीएफडीसी द्वारा समर्थित जनजातीय उद्यमियों की कुछ सफलता की कहानियां निम्नलिखित लिंक https://nstfdc.tribal.gov.in/(S(3gwil13ratte2y5nojjmjwih))/frm_success_Details.aspx?id=20. पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च): 2014 में एक अलग मंत्रालय के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के निर्माण और 2018-19 से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की अनिवार्य आवश्यकता के साथ,

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के उपाय को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजनाओं के तहत शामिल किया गया था। अब कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए, राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं, जिनका राज्य के आवंटन के भीतर परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान जनजातीय युवाओं सहित जनजातीय व्यक्तियों के कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान योजनाओं के तहत प्रदान की गई निधियों (धनराशि) का विवरण **अनुलग्नक 4** पर दिया गया है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत अजजा आबादी के लिए प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्ष 2015 से इस योजना के तहत अजजा लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक 5** पर दिया गया है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के घटक वन धन विकास कार्यक्रम के तहत, इन केंद्रों से जुड़े जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के माध्यम से जनजातीय उपज/उत्पादों की मूल्य संवर्धन गतिविधियों पर जनजातीय युवाओं सहित संबंधित जनजातीय लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): ग्रामीण विकास विभाग आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाई-जी लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण के तहत अजजा के लिए लगभग 66 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 54 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

जल जीवन मिशन: जल जीवन मिशन (जेजेएम), एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करना है। देश भर के सभी ग्रामीण परिवारों की सार्वभौमिक कवरेज लक्ष्य है और इस तरह समग्र ग्रामीण अजजा आबादी/घरों को भी इसमें शामिल किया गया है। जेजेएम के तहत अजजा केंद्रित बस्तियों में लगभग 1.40 करोड़ घरों को पाइप से जलापूर्ति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का उद्देश्य देश भर में सभी खेती योग्य भूमि धारक किसान परिवारों को कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सालाना 6000/- रुपये की राशि 2000/- रुपये की तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। पीएम-किसान के तहत लगभग 1 करोड़ अजजा किसानों को लाभ मिल रहा है।

अनुलग्नक 1

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †276 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 1

वन धन विकास केंद्रों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या	सूचित कुल बिक्री (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	6,162.90	123578	278.477
2	अरुणाचल प्रदेश	106	1590	32897	6.17
3	असम	471	7065	143309	360.47
4	छत्तीसगढ़	139	2085	41700	753.04
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	15	302	5
6	गोवा	10	150	3000	31.6
7	गुजरात	200	2895.65	57968	6
8	हिमाचल प्रदेश	4	55.5	1110	7.7
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	1457	29791	0
10	लद्दाख	10	150	3000	0
11	झारखंड	146	2174.7	43701	44.4
12	कर्नाटक	140	2087.4	41748	24.27
13	केरल	44	597.25	12038	7.91
14	मध्य प्रदेश	126	1890	37860	130.31
15	महाराष्ट्र	264	3960	79350	97.32
16	मणिपुर	200	2996.8	60403	303.55
17	मेघालय	169	2534.1	50835	14.71
18	मिजोरम	259	3806.55	76168	295.71
19	नागालैंड	284	4259.9	85198	409.02
20	ओडिशा	170	2479.25	50094	1072.01
21	राजस्थान	479	7135.6	144803	117.43
22	सिक्किम	80	1169.05	23381	15.84
23	तमिलनाडु	8	120	2400	93.24
24	तेलंगाना	17	255	5100	0
25	त्रिपुरा	57	**776**	16116	17.91
26	उत्तर प्रदेश	25	359.55	7238	6.97
27	उत्तराखंड	12	179.95	3605	3.89
28	पश्चिम बंगाल	22	329.35	6719	0
कुल		**3958**	**58,736.50**	**1183412**	**4102.95**

अनुलग्नक 2

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †276 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 2

ट्राइफेड द्वारा की गई खरीद/बिक्री का वर्ष-वार विवरण

(आदि महोत्सव/आदि बाज़ार की खरीद और बिक्री शामिल है)

क्र.सं.	वर्ष	ख़रीदारी (करोड़ रुपये में)	बिक्री (करोड़ रुपये में)
1	2019-2020	50.95	40.29
2	2020-2021	16.51	30.12
3	2021-2022	29.00	43.42
4	2022-2023	16.08	36.12
5	2023-2024 (30.11.2023 तक)	10.48	22.60
	कुल	**123.02**	**172.55**

अनुलग्नक 3

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †276 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक 3

पिछले पांच वर्षों में (2022-23 तक) एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋण का राज्य-वार विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12335.98	28623
2	अंडमान और निकोबार	245.00	7501
3	अरुणाचल प्रदेश	2808.68	14186
4	असम	68.12	181
5	बिहार	11.48	955
6	छत्तीसगढ़	3357.88	6709
7	गुजरात	7208.21	32090
8	हरियाणा	0.41	1
9	हिमाचल प्रदेश	207.43	264
10	जम्मू और कश्मीर	4739.91	1582
11	झारखंड	3145.47	30803
12	कर्नाटक	6135.08	7848
13	केरल	1928.50	1490
14	मध्य प्रदेश	17697.98	34462
15	महाराष्ट्र	2081.51	10132
16	मणिपुर	87.37	122
17	मेघालय	10486.62	41867
18	मिजोरम	22666.63	27395
19	नागालैंड	5807.92	158920
20	ओडिशा	6813.32	68177
21	राजस्थान	7285.04	10465
22	सिक्किम	398.89	138
23	तमिलनाडु	1190.45	9461
24	तेलंगाना	26271.99	73359
25	त्रिपुरा	3924.97	3725
26	उत्तर प्रदेश	5.28	7
27	उत्तराखंड	634.86	439
28	पश्चिम बंगाल	4335.06	28325
	कुल	**151880.04**	**599227**

अनुलग्नक 4

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †276 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 4

पिछले चार वर्षों के दौरान जनजातीय युवाओं सहित जनजातीय व्यक्तियों के कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**जारी धनराशि**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	300	450
2	अरुणाचल प्रदेश	15	50
3	असम	740	2400
4	बिहार	388.79	4968
5	छत्तीसगढ़	1322	4440
6	गुजरात	6068.61	23993
7	हिमाचल प्रदेश	1204.1	3648
8	जम्मू एवं कश्मीर	100	320
9	झारखंड	5925	12983
10	कर्नाटक	2970.08	8994
11	केरल	100.52	453
12	मध्य प्रदेश	5220.55	11235
13	महाराष्ट्र	2380.62	55650
14	मणिपुर	1330.97	2658
15	मेघालय	467.6	5899
16	मिजोरम	1010.79	2237
17	नागालैण्ड	675	1706
18	ओडिशा	10949	48008
19	राजस्थान	1979	3196
20	सिक्किम	229	493
21	तेलंगाना	1625.75	4752
22	**त्रिपुरा**	**527.7**	**3029**
23	उत्तर प्रदेश	765.82	2489
24	उत्तराखंड	415.03	2350
25	पश्चिम बंगाल	3663.04	18316
कुल		**50373.97**	**224717**

अनुलग्नक 5

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †276 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 5

2015 से पीएमकेवीवाई के तहत अजजा लाभार्थियों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं	राज्य	प्रशिक्षित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	181
2	आंध्र प्रदेश	15,007
3	अरुणाचल प्रदेश	33,345
4	असम	62,339
5	बिहार	12,471
6	चंडीगढ़	74
7	छत्तीसगढ़	30,555
8	दिल्ली	5,956
9	गोवा	405
10	गुजरात	29,089
11	हरियाणा	3,807
12	हिमाचल प्रदेश	5,474
13	जम्मू और कश्मीर	2,873
14	झारखंड	34,932
15	कर्नाटक	13,013
16	केरल	2,362
17	लद्दाख	2,154
18	लक्षद्वीप	270
19	मध्य प्रदेश	65,630
20	महाराष्ट्र	43,636
21	मणिपुर	19,403
22	मेघालय	23,133
23	मिजोरम	25,279
24	नागालैंड	29,077
25	ओडिशा	39,269
26	पुदुचेरी	69
27	पंजाब	2,178
28	राजस्थान	66,216
29	सिक्किम	4,044
30	तमिलनाडु	6,758
31	तेलंगाना	26,876
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,143
33	त्रिपुरा	25,001
34	उत्तर प्रदेश	18,987
35	उत्तराखंड	3,295
36	पश्चिम बंगाल	19,754
कुल		**6,74,055**

******